THE UTTAR PRADESH CIVIL LAWS AMENDMENT ACT, 1970

(U. P. ACT NO. 14 OF 1970)

*(*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Civil Vidhi Sanshodhan Adhiniyam,* 1970).

AN

ACT

further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, *the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act,* 1887, *the Provincial Small Cause Courts Act,* 1887 *and the Transfer of Property Act,* 1882, *in their application to Uttar Pradesh.*

IT is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Civil Laws Amendment Act, 1970.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Substitution of new section for section 42 of Act V of 1908.

2. For section 42 of the Code of Civil Procedure, 1908, as amended in its application to Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the said Code) the following section shall be *substituted*, and be deemed to have been *substituted* with effect from December 2, 1968, namely:—

Power of court in executing transferred decree.

"42. (1) The Court executing a decree sent to it shall have the same powers in executing such decree as if it had been passed by itself. All persons disobeying or obstructing the execution of the decree shall be punishable by such Court in the same manner as if it had passed the decree, and its order in executing such decree shall be subject to the same rules in respect of appeal as if the decree had been passed by itself.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the powers of the Court under that sub-section shall include the following powers of the Court which passed the decree, namely—

(*a*) power to send the decree for execution to another Court under section 39 ;

(*b*) power to execute the decree against the legal representative of the deceased judgment-debtor under section 50 ;

(*c*) power to order attachment of a decree ;

(*d*) power to decide any question relating to the bar of limitation to the executability of the decree ;

(*e*) power to record payment or adjustment under rule 2 of Order XXI ;

(*f*) power to order stay of execution under rule 29 of Order XXI ;

(*g*) in the case of a decree passed against a firm, power to grant leave to execute such decree against any person other than a person as is referred to in clause (*b*) or clause (*c*) of sub-rule (1) of rule 50 of Order XXI.

(3) A Court passing an order in exercise of the powers specified in sub-section (2) shall send a copy thereof to the Court which passed the decree.

(4) Nothing in this section shall be deemed to confer on the Court to which a decree is sent for execution, the power to order execution at the instance of the transferee of a decree."

---

*For statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary*, dated March 3 1970.

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 3, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 12, 1970).

Received the Assent of the President on April 7, 1970 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 8, 1970).

Amendment of Section 115 of Act V of 1908.

3. In section 115 of the said Code—

(i) *for* the words "High Court", wherever occurring, the words "High Court or District Court" shall be *substituted* ; and

(ii) the following proviso thereto shall be *inserted* at the end, namely :—

"Provided that nothing in this section shall be construed to empower the District Court to call for the record of any case arising out of an original suit of the value of twenty thousand rupees or above."

Amendment of section 21 of Act XXI of 1887.

4. In section 21 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887, as amended in its application to Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) Save as aforesaid, an appeal from a decree or order of a Civil Judge shall lie—

(*a*) to the District Judge where the value of the original suit in which or in any proceeding arising out of which, the decree or order was made, whether instituted or commenced or decided before or after the commencement of the Uttar Pradesh Civil Laws Amendment Act, 1968, was less than twenty thousand rupees; and

(*b*) to the High Court, in any other case.

(I-A) An appeal from a decree or order of a Civil Judge where the value of the original suit in which, or in any proceeding arising out of which, the decree or order was made exceeded ten thousand rupees but was less than twenty thousand rupees instituted in the High Court before the date of commencement of the Uttar Pradesh Civil Laws Amendment Act, 1970, and pending in the High Court immediately before the said date, not being an appeal in which arguments have been concluded before the said date and only judgment disposing of the appeal remains to be pronounced, shall stand transferred to the District Judge having jurisdiction who may either decide it himself or assign it to any Additional Judge subordinate to him.

(I-B) The period of limitation prescribed for filing an appeal from a decree or order of a Civil Judge where the value of the original suit in which, or in any proceeding arising out of which, the decree or order was made exceeded ten thousand rupees but was less than twenty thousand rupees and the decree or order was made before December 2, 1968, shall, notwithstanding anything in the Limitation Act, 1963, be deemed to be and always to have been the same as if the appeal continued to lie to the High Court."

Amendment of section 25.

5. For section 25 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"25. The State Government may, by notification in the *Gazette*, confer, within such local limits as it thinks fit, upon any Civil Judge or Munsif the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes under the Provincial Small Causes Courts Act, 1887, for the trial of suits cognizable by such Courts, up to such value not exceeding one thousand rupees in the case of a Civil Judge or five hundred rupees in the case of a Munsif, as it thinks fit, and may withdraw any jurisdiction so conferred :

Provided that the State Government may, by notification in the *Gazette*, delegate to the High Court its powers under this section."

Amendment of section 15 of Act IX of 1887.

6. In section 15 of the Provincial Small Causes Courts Act, 1887, for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(2) Subject to the exceptions specified in that schedule and to the provisions of any enactment for the time being in force, all suits of a civil nature of which the value does not exceed one thousand rupees shall be cognizable by a court of Small Causes.

(3) Subject as aforesaid, the State Government may, by order in writing, direct that all suits of a civil nature of which the value does not exceed two thousand rupees shall be cognizable by a court of Small Causes mentioned in the order."

7. *After* section 69-A of the Transfer of Property Act, 1882, the following section shall be *inserted*, namely:— **Insertion of new section 69-B in Act IV of 1882.**

"69-B. (1) Where in exercise of a power of sale under section 69 the mortgaged property or any part thereof has been sold, the Collector shall on an application being made to him in that behalf put the purchaser into possession of the property, and may for the purpose of removing any person who refuses to vacate the same, use or cause to be used such force as he may deem necessary. Delivery of possession.

(2) The provisions of rules 95 to 103 of Order XXI contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, shall *mutatis mutandis* apply to proceedings under this section with the substitution of references to the Court and the judgment-debtor by references respectively to the Collector and the defaulting mortgagor.

(3) In this section, 'Collector' means the Collector of the district in which the property is situate, and includes any Assistant Collector empowered in that behalf by any general or special order by the Collector."

8. The Uttar Pradesh Civil Laws (Amendment) Act, 1968, and the President's Acts for Uttar Pradesh (Re-enactment) Ordinance, 1970 are hereby repealed. **Repeal.**

PSUP—A. P. 58 Genl. (Leg.)—1970. 1,850+52 (M).

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 12 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल, 1970 ई० की स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्टस् ऐक्ट, 1887, **प्राविंशियल स्माल काज कोर्टस ऐक्ट,** 1887 **तथा सम्पत्ति** अन्तरण अधिनियम, 1882 को उत्तर प्रदेश **में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधित करने के लिये**

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1908 के अधिनियम 5 की धारा 42 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, और 2 दिसम्बर, 1968 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

अन्तरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां

"42—(1) अपने को भेजी गयी डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां रखेगा जो उसको होतीं यदि वह उसके ही द्वारा पारित की गयी होतीं। वे सब व्यक्ति, जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं, ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसे ही प्रकार से दण्डनीय होंगे जैसे कि यदि डिक्री उसने ही पारित की होती तो दण्डित किये जाते और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अध्यधीन रहेगा जैसे रहता, यदि डिक्री उसके ही द्वारा पारित की गयी होती।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के अधीन न्यायालय की शक्तियों के अन्तर्गत डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—

(क) धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिये डिक्री भेजने की शक्ति;

(ख) धारा 50 के अधीन मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री निष्पादित करने की शक्ति;

(ग) डिक्री के कुर्क किये जाने का आदेश देने की शक्ति;

(घ) डिक्री की निष्पादेयता पर अवधि-रोध से सम्बन्धित किसी प्रश्न का निर्णय करने की शक्ति;

(ङ) आदेश 21 के नियम 2 के अधीन संदाय या समायोजन अभिलिखित करने की शक्ति;

(च) आदेश 21 के नियम 29 के अधीन निष्पादन रोकने का आदेश देने की शक्ति;

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 28 फरवरी, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

(छ) किसी फर्म के विरुद्ध पारित डिक्री की दशा में, आदेश 21 के नियम 50 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी डिक्री का निष्पादन करने के लिये इजाजत देने की शक्ति ।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके कोई आदेश पारित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा ।

[(4) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जायगा कि वह उस न्यायालय को, जिसे डिक्री निष्पादन के लिये भेजी जाय, डिक्री के अन्तरिती की प्रेरणा पर निष्पादन का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है ।"

1908 के अधिनियम 5 की धारा 115 का संशोधन

3—उक्त संहिता की धारा 115 में—

(1) जहां-जहां भी शब्द "उच्च न्यायालय" आये हों उनके स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय" रख दिये जायें ; और

(2) उसके अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उससे जिला न्यायालय को किसी ऐसे मामले के अभिलेख मंगवाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है जो बीस हजार रुपये अथवा उससे अधिक मूल्य के मूल वाद से प्रोद्भूत हो ।"

1887 के ऐक्ट 12 की धारा 21 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्टस् ऐक्ट, 1887 की (जिसे आगे बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्टस् ऐक्ट कहा गया है) धारा 21 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्:—

"(1) उपर्युक्त को छोड़ कर, सिविल जज की डिक्री या उसके आदेश के विरुद्ध अपील :—

(ए) जिला न्यायाधीश को, जहां ऐसे मूल वाद का जिसमें या जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में डिक्री या आदेश दिया गया हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1968 के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् संस्थित या प्रारंभ हो अथवा निर्णीत हो, मूल्य बीस हजार रुपये से कम हो ; और

(बी) किसी अन्य दशा में, उच्च न्यायालय को ;

की जायगी ।

(1-ए) सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1970 के प्रारंभ होने के दिनांक के पूर्व उच्च न्यायालय में संस्थित कोई अपील, जहां ऐसे मूल वाद कार्य जिसमें या जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में डिक्री या आदेश दिया गया हो, मूल्य दस हजार रुपये से अधिक किन्तु बीस हजार रुपये से कम था, और जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, परन्तु जो ऐसी अपील न हो जिसमें उक्त दिनांक के पूर्व बहस की सुनवाई समाप्त हो चुकी हो और केवल निर्णय सुनाया जाना, जिससे अपील का निस्तारण होने वाला हो, शेष हो, अधिक्षेत्र रखने वाले जिला न्यायाधीश को संक्रमित हो जायगा जो उसका या तो स्वयं निर्णय करेगा अथवा उसे अपने अधीनस्थ किसी अपर जिला न्यायाधीश को अभ्यर्पित कर सकेगा ।

(1-बी) सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिऐ नियत अवधि-काल, जहां ऐसे मूल वाद का, जिसमें या जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में, डिक्री या आदेश दिया गया हो, मूल्य दस हजार रुपये से अधिक किन्तु बीस हजार रुपये से कम था और डिक्री या आदेश 2 दिसम्बर, 1968 के पूर्व दिया गया था, परिसीमा अधिनियम, 1963 में दी गई किसी बात के होते हुए भी वही समझा जायगा और सदैव से वही समझा जायगा मानो कि अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती रही हो ।"

5—बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्टस् ऐक्ट की धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:— धारा 25 का संशोधन

"25—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिन्हें वह ठीक समझे, किसी सिविल न्यायाधीश या मुन्सिफ को, प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस् ऐक्ट, 1887 के अधीन लघुवाद न्यायालय (कोर्ट आफ स्माल काज) के न्यायाधीश का अधिक्षेत्र, ऐसे न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वादों का परीक्षण करने के लिए, ऐसे मूल्य तक जो किसी सिविल न्यायाधीश की दशा में एक हजार रुपये या किसी मुन्सिफ की दशा में पांच सौ रुपये से अधिक न हो, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रदत्त कर ती है और इस प्रकार प्रदत्त अधिक्षेत्र को वापस ले सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस धारा के अधीन अपनी शक्ति उच्च न्यायालय को प्रतिनिहित कर सकती है ।"

6—प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस् ऐक्ट, 1887 की धारा 15 में उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्— 1887 के ऐक्ट 12 की धारा 15 का संशोधन

"(2) उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट अपवादों और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रकार के ऐसे सभी वाद जिनका मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो, लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे।

(3) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि सिविल प्रकार के ऐसे सभी वाद जिनका मूल्य दो हजार रुपये से अधिक न हो, उक्त आदेश में उल्लिखित लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे।"

7—संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 69-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:— अधिनियम संख्या 4, 1882 में नई धारा 69-ख का बढ़ाया जाना

"69-ख—(1) जहां धारा 69 के अधीन विक्रय की शक्ति का प्रयोग करके बन्धक संपत्ति या उसका कोई भाग बेच दिया गया हो तो कलेक्टर, तदर्थ उसे आवेदन-पत्र दिये जाने पर, क्रेता को संपत्ति का कब्जा दिलायेगा, और किसी ऐसे व्यक्ति को निकालने के लिए, जो उसे खाली करने से इंकार करे, ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे । कब्जा देना

(2) उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट आदेश 21 के नियम 95 से 103 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे जिनमें न्यायालय तथा निर्णीत ऋणी के अभिदेशों के स्थान पर क्रमश: कलेक्टर तथा बाकीदार बन्धककर्त्ता का अभिदेश होगा ।

(3) इस धारा में "कलेक्टर" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है जिसमें संपत्ति स्थित हो, और इसके अन्तर्गत कलेक्टर के किसी 'सामान्य' या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई, सहायक कलेक्टर भी है।"

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 35, 1968 और उ० प्र० अध्यादेश संख्या 5, 1970

8—उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1968 और उत्तर प्रदेश के लिये राष्ट्रपति अधिनियमों का (पुनः अधिनियमन) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । निरसन

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 59 जनरल (लेग)—1970—1,835+50 (मे०)।